न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 74–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 320/अपील/2013–14

.....

1–मोहम्मद वसीम आ0 श्री अब्दुल कादर
2–शाहरूख आ0 मो0 वसीम
निवासीगण म.नं. 21, गली नं. 2,
मोचियान जुमेराती भोपाल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सोबोद्रा बाई पत्नी श्री हरिनारायण पुत्री स्व0लक्ष्मण सिंह
निवासी ग्राम तारा सेवनिया, तहसील हुजूर
जिला भोपाल.
2–कृष्णाबाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण पुत्री स्व0लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम जबड़ी तहसील व जिला शाजापुर
3–श्रीमती सौरभबाई पत्नी श्री रघुवीर सिंह पुत्री स्व0लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम बदरखा तहसील हुजूर जिला भोपाल
4–श्रीमती गुलाब बाई पत्नी श्री कैलाश सिंह पुत्री स्व0लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम अचारपुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल
5–सौदानसिंह पुत्र स्व0लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम पिपलिया बाज खॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0एल0रघुवंशी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 लगायत 4

श्री दिवाकर दीक्षित, अनावेदक कमांक 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे, संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि उसके स्वत्व की भूमि पुराना सर्वे कमांक 199/1 कुल रकबा 19.924 हेक्टेयर में 16 एकड़ भूमि उनके आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि उनके पिता स्वर्गीय जगराम पुत्र चुन्नीलाल की पैतृक संपत्ति है तथा उन्हीं के नाम से अंकित रही है । उपरोक्त पैतृक भूमि को उनके पिता लक्ष्मण सिंह व भाई आदि द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के संबंध में कोई जानकारी नहीं देते हुये उनके हिस्से की भूमि का भी विकय कर दिया गया है और नामान्तरण भी पंजी कमांक 55 में पारित आदेश दिनांक 23–03–2002 से करा लिया गया है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के बाहर रहने से उन्हें खसरे में प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । उक्त आशय का आवेदन प्रस्तुत करत हुये अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा उनके हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी उनकी अनुपस्थिति में किये गये नामान्तरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4–1–2014 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने के बिन्दु पर निरस्त कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–1–2014 से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अपर आयुक्त समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2015 को आदेश पारित कर नामान्तरण पंजी कमांक 55 पर पारित आदेश दिनांक 23–3–2002 निरस्त किया गया तथा 23–3–02 के बाद किये गये वादग्रस्त भूमि के संबंध में पश्चातवर्ती सभी आदेश

स्वतः शून्यवत् हो गये । तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि श्री जगराम के स्वामित्व की भूमि पर उनके वारिसान के रूप में अनावेदकगण का नाम समान भाग पर राजस्व अभिलेखों में अंकित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण के द्वारा लक्ष्मणसिंह के पुत्र हुकुम सिंह व ठाकुर सिंह से भूमि खरीदी थी, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में हुकुमसिंह व ठाकुरसिंह का नाम दर्ज था और उनके नाम से वही थी तथा भूमि पर उन्हीं का कब्जा था इसलिये अनावेदिकागण को नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था, क्योंकि अनावेदिकागण का राजस्व अभिलेखों में नाम नहीं था और वह हितबद्ध पक्षकार नहीं थी ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि लक्ष्मणसिंह की स्वयं की भूमि है और उसी भूमि में से निगरानीकर्तागण ने भूमि क्रय की है । अनावेदिकागण के द्वारा आज तक विक्रय पत्रों को शून्य घोषित कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(3) प्रकरण में नाजमा बी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, मो शाहरूख खान को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गयाहै जबकि उसके द्वारा लक्ष्मणसिंह से कोई भूमि क्रय नहीं की गई है । नाजमा बी को बिना पक्षकार बनाये ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी और इसके पश्चात् अपर आयुक्त के समक्ष भी नाजमा बी को पक्षकार बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत की गई है । लक्ष्मण सिंह की मृत्यु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील चलने के दौरान हुई थी इसके बाद भी उनके वैधानिक वारिसानों को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया । अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मात्र वसीम को पक्षकार बनाया है । वसीम ने लक्ष्मण से मात्र 1 एकड़ भूमि ही क्रय की है, शेष भूमि उनके पुत्रो से क्रय की

है। इतने वर्षो पूर्व आवेदकगण द्वारा कय की गई भूमि पर खेतीबाड़ी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं ।

(4) अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नियमों को अनदेखा आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि को पैतृक भूमि माना है जबकि सम्पूर्ण भूमि पैतृक भूमि नहीं है । लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्रों के नाम बटवारा कर भूमि प्रदान कर दी है तो अनावेदिकागण को चाहिये था वह अपने पिता व पुत्रों के विरूद्ध ही प्रकरण प्रस्तुत करती और लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम के स्थान पर फौती नामान्तरण की कार्यवाही करती, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करते हुये तथाकथित आदेश अनावेदिकागण के पक्ष में पारित किया गया है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि के नामान्तरण आदेश को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और उनके विकय पत्र भी निरस्त नहीं कराये हैं परन्तु अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा आवेदकगण का नामान्तरण निरस्त करने अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण ने अपनी निगरानी में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अनावेदिका कमांक 1 लगायत 4 के पिता श्री लक्ष्मणसिंह एवं उनके पुत्रों से वादग्रस्त 16 एकड़ भूमि विधिवत् विकय पत्रों के माध्यम से कय कर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण कराया है । वादग्रस्त 16 एकड़ भूमि पैतृक भूमि रही है और इस भूमि अनावेदिकागण का स्वाभाविक स्वत्व रहा है क्योंकि वे लक्ष्मणसिंह की पुत्रीगण है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनावेदिकागण का पैतृक भूमि में स्वाभाविक कानूनी स्वत्व एवं हित है । उनकी जानकारी के बिना उनके पिता या भाई के द्वारा उनके हक व हिस्से की भूमि आवेदकगण को विकय कर दी

है तो ऐसा विक्रय अनावेदिकागण पर बंधनकारी नहीं है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण ने निराधार आरोप लगाया है कि अनावेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि को हडपने के उद्देश्य से किसी राजनैतिक प्रभाव से मिलकर अपील प्रस्तुत की थी।

(3) आवेदकगण ने यह गलत तथ्य प्रस्तुत किया है कि अनावेदिकागण कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जबकि अपील अनावेदिकागण् द्वारा समय सीमा में प्रस्तुत की गई थी ।

(4) आवेदकगण का यह कथन विधि सम्मत नहीं है कि नामान्तरण पंजी कमांक 55 पर पारित आदेश दिनांक 23–3–2002 से परिवेदित होकर अनावेदिकागण कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर कोई आदेश दिया जाता है तो उसे परिवेदित पक्ष वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है । इस परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(5) आवेदकगण द्वारा यह दर्शाया गया है कि अनावेदिकागण कमांक 1 लगायत 4 के पिता श्री लक्ष्मण सिंह के द्वारा श्रीमती नाजमा बी पत्नी वसीम को 1.00 एकड़ भूमि विकय की है । हुकुमसिंह आ0 लक्ष्मणसिंह ने मोह0वसीम को 2.50 एकड़ भूमि विकय की है । ठाकुरसिंह बल्द लक्ष्मण सिंह ने मोहम्मद वसीम को 1.08 एकड़ भूमि विकय की है । आवेदकगण ने इन कथित विक्रेतागण एवं श्रीमती नाजमा बी पत्नी वसीम को इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है । इस कारण पक्षकारों के असंयोजन के कारण आवेदकगण की निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत बने नियम 32 के अन्तर्गत स्वत्व के निर्धारण का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है, अतः आवेदकगण का कथन निरर्थक है कि आवेदकगण को स्वत्व के आधार पर अपना हक स्थापित करने के लिये व्यवहार न्यायालय में जाना चाहिये था। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(7) लक्ष्मणसिंह के द्वारा किये गये कथित विक्रय पत्र के संबंध में अनावेदिका कमांक 1 लगायत 4 को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि ऐसे कथित विक्रय उनकी सहमति के बिना हुये थे, जबकि कथित विक्रय से संबंधित वादग्रस्त भूमि में अनावेदिका कमांक 1 लगायत 4 के स्वत्व एवं हित निहित थे । इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदिकागण को जैसे ही वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही उनके द्वारा सक्षम न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष में समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी ।

(8) अपर आयुक्त न्यायालय ने अनावेदिका कमांक 1 लगायत 4 द्वारा समयावधि में प्रस्तुत अपील पर पक्षकारों को सुनवाई का यथाचित अवसर प्रदान करते हुये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण कर आदेश पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये है जो न्यायसंगत है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2000 आरएन 221, 1988 आरएन 187, 1997 आरएन 363, 2000 आरएन 351, 1985 आरएन 430, 1973 आरएन 566, 1987 आरएन 349, 1973 आरएन 16, 2005 आरएन 205 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि

अनावेदिका पक्ष के पूर्वजों की पैतृक भूमि थी तथा अनावेदिकापक्ष को उक्त भूमि को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था । अनावेदिकापक्ष के पिता लक्ष्मणसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदिकापक्ष के हक की अनदेखी करते हुये भूमि का बटवारा पुत्रों के मध्य किया गया है । उक्त कार्यवाही करने के दौरान प्रभावित पक्षकार तथा लक्ष्मण सिंह के वारिस होने के नाते अनावेदिकापक्ष को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही आहूत किया गया । स्पष्ट है कि उक्त आदेश अनावेदिकापक्ष के पीठ पीछे पारित किया गया है और पीठ पीछे पारित किये गये आदेश को हित रखने वाले पक्षकार के द्वारा कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा इस संबंध में समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होता है । अनुविभागीय अधिकारी ने इस स्थिति की पूरी तरह अनदेखी करते हुये समय सीमा पर अपील अमान्य करने में त्रुटि की है । 1991 आरएन 127 में माननीय उच्च न्यायालय ने इसी संबंध में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है । इसके अलावा भी अनावेदिकापक्ष की ओर से अनेक न्यायदृष्टांत इस संबंध में प्रस्तुत किये है । इस संबंध में विद्वान अपर आयुक्त के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो पूरी तरह तथ्यों तथा विधि पर आधारित है । अनावेदिका पक्ष के हितों की अनदेखी करते हुये बिना उन्हें सुने किये गये नामान्तरण आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता, उसका निरस्त करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । अनावेदिकापक्ष के हित प्रश्नाधीन भूमि में नहीं थे, ऐसा कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर